12.33 hrs.

## ALUMINIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF ALUMINIUM UNDERTAKING) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN) : Sir, on behalf of Shri N.K.P. Salve, I beg to move :*

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of the Aluminium Corporation of India Limited in relating to its undertaking at Jaykay Nagar, near Asansol (West Bengal) for the purpose of ensuring the continuity of production of aluminium and aluminium fabricated products which are essential to the needs of the community and thereby to give effect to the policy of the State towards securing the principles specified in clause (b) of article 39 of the Constitution, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to provided for the acquisition and transfer of the right, title and interest of the Aluminium Corporation of India Limited in relation to its undertaking at Jaykay Nagar, near Asansol (West Bengal) for the purpose of ensuring the continuity of production of aluminium and aluminium fabricated products which are essential to the needs of the community and thereby to give effect to the policy of the State towards securing the principles specified in clause (b) of article 39 of the Constitution, be taken into consideration."

Shri K.C. Halder will ininitiate the discussion.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur) : Hon. Deputy Speaker, Sir, I welcome this Aluminium Corporation of India Limited (Acquisition and Transfer of Aluminium Undertaking) Bill, 1983 which was introduced in the last Winter Session of the Parliament. Now this Bill has come for consideration and passing. I welcome the Bill though it was overdue.

The Aluminium Corporation of India Limited was established in July 1944 at Jaykay Nagar near Asansol (West Bengal). In September 1973 this company was closed due to financial, mismanagement and other difficulties. The private owners exploited the company and did not plough back the profit for renovation, modernisation and technological upgradation. With the profit earned by the Aluminium Corporation of India Limited, Jaykay Nagar, the owners set up new factories in other States. At that time this company was employing 2,500 persons. Aluminium and aluminium products are very much necessary for our nation, specially for the power industry. The import of aluminium in 1979-80 was of the order of 76,028 tonnes and its value was Rs. 1,09.560. In 1981-82 the installed capacity was 3,21,170 and production in 1981 was 2,11,411 tonnes. In 1982 the production was 2,14,789 tonnes and import 2,178 tonnes and its value Rs. 39 crores. In answer to a question it was mentioned on 23rd February 1983 that in 1982 there was no import. But Shri Salve stated in the Rajya Sabha that the canalising agency may have to import 20,000 to 30,000 tonnes, valued at Rs. 30 to 45 crores during 1982-83. I hope the Minister will clarify during his reply to the debate whether in 1982-83, any import was done and what was the total quantum of import of aluminium products into our country.

What is the position of aluminium production in relation to public and private sector. In the public sector HALCO in 1971 produced 30,939 tonnes and in the private sector Indalco, Indal and Malco produced 1,80,899 tonnes. In 1979 the total production was 2,17,838 tonnes. In 1980 the production in the public sector was 28,997 tonnes and private sector 1,55,841 tonnes. In 1981 the production in the public sector was 32,881 tonnes and private sector 1,79,689 tonnes. So, while you are talking of public sector reaching the commanding heights, the private sector is producing much more than the public sector.

I am giving some figures of demand,

*Moved with the recommendation of the President.

indigenous supply and imports. In 1980-81 the demand was 3,04,620 tonnes, indigenous production 1,87,110 tonnes and import 1,20,778 tonnes. In 1981-82 the demand was 2,79,229 tonnes, indigenous supply 2,64,000 tonnes and import 70,196 tonnes. In 1982-83 the demand was 238.118 thousand tonnes. The indigenous supply was 218.862 thousand tonnes. There is a gap of about 20,000 tonnes. In the figure, they showed there is no import. But the Minister in an answer in the Rajya Sabha said that there may be an import of 20 to 30 thousand metric tonnes of aluminium. What is the position ?

In our country the installed capacity per annum of aluminium production is 301,170 tonnes. The production in 1981 was 2,11,411 tonnes. In 1982 production was 2,14,789 tonnes. Figure of imports in 1981 have already been given by me earlier.

Still the Private Sector is ruling the aluminium market and we are spending thousands of crores of valuable foreign exchange for import.

Now in 1984-85 Government has projected the demand for aluminium. It will be 5,00,000 tonnes. But they have not indicated what will be the actual indigenous production in 1984-85. You know that this concern was closed in 1973. From 1975 efforts were made by the Central Government and State Government of West Bengal to revive the undertaking with a view to rehabilitate the Company and those who were adversely affected by the closure and to augment supply of aluminium and aluminium fabricated products. As I stated earlier, the company took away the profit and did not plough it back in that concern. They installed factories in other States. What happened ? Their liabilities were more and they did not inject capital for revival of this Aluminium Corporation of India which was essential for West Bengal.

After its closure myself and the leaders of C.I.T.C., we made many attempts to approach the Minister and the Ministry to re-open and nationalise this Company. After that this Company was taken over on 1st May, 1978 by the Central Government and then after that from 1979 the fabrication work started. It was re-commissioned in 1979. As I have stated earlier, the production of aluminium is necessary for our nation and specially for the power industry and Defence. But after the take-over the performance of the Company was not satisfactory and then we met the Minister many times for nationalisation -- i.e. to take it up as a public undertaking of the Central Government. In the statement of objects and reasons, the Minister has stated that for improvement in the performance of the undertaking, investment of public fund is considered necessary as it produces aluminium products which are necessary for the country and the power sector. Here, I would like to mention that when this is nationalised, proper investment for modernisation and technological improvement should be taken up to make it viable and this nationalisation should not be done in a half-hearted manner. I want to give a word of caution because, as you know, the Government nationalised the Burn Standard Refractories in the year 1975. But after nationalisation, no investment was done. Regarding Burn Standard, we welcome that the Government nationalised the concern but no investment was done. We repeatedly made representations to the Minister that nationalisation is not the only solution when it becomes sick. When you nationalise a concern, there must be proper planning for investment, for modernisation and for technological upgradation so that the concern must be made viable.

But in the meantime, the Central Government and the management of the public sector are behaving like the private sector. They have declared lock-out in the Durgapur Unit of Burn Standard and they have issued a closure notice to close the Raniganj unit of Burn Standard from 10th of May. The Burn Standard produced 950 tonnes of refractories previously, about 10 years back. But the management got an agreement with the union and it gradually scaled down the production target and now it is 250 tonnes only. How can it be viable ? Today the trade-union leaders and the workers are so mature in West Bengal, they are not only conscious of their own wages and other things but also they are fighting to make the different public sector units viable and they submit alternative suggestions and schemes to the Central Government. But the bureaucrats do not take the

alternative schemes into consideration and this is the irony of situation. About 1200 employees in the two units of Burn Standard are facing difficulties. I am mentioning this because you are nationalising this company. I demand lifting of lockout and reopening of Burn Standard Refactors. It is a welcome measure and the trade-unions are ready to cooperate. But at the same time, there must be proper planning for investment, modernisation and technical upgradation so that this concern may be viable.

Through you, I would like to draw the attention of the Minister and the Cabinet also regarding how they work in an unplanned manner. You know, M.A.M C., Durgapur, was established to supply equipment and machinery to collieries and coal-washeries. They have supplied many equipment and machinery to collieries and coal-washeries, their performance is very good. But now what has happened ? They Energy Ministry are going to set up one coal washery at Madhuban. The CIL are going to instal one coal washery in Madhuban. They have not yet placed the order, but they are inclined to give order to a foreign company, Alpine, an Austrian company. It will involve Rs. 60 crores and foreign exchange to the extent of Rs. 6 to 8 crores will be required if they place the order on this foreign company, Alpine. When MAMC, Durgapur, can produce good quality machinery and they have the technical knowhow to produce first class or uptodate quality machinery for collieries and coal washeries, why are another Ministry, without placing an order to a public sector concern, going to place the order on a foreign company where they have to spend about Rs. 6 to 8 crores of the valuable foreign exchange of our country ? So, my point is that you nationalise the concern and at the same time you have proper planning for investment, modernisation and technological upgradation so that the company may be viable. I can assure the Government through you that, if this is done, the trade union and the workers are ready to cooperate. But what happens is that, after two or three or four years, you close down the concern as in the case of Burn Standard. Government takes over the management of some concern and after several years, instead of nationalising, it is denotified as in the case of Carter Pooler of Calcutta which has been denotified. This is not proper. You should nationalise and make it viable. As I have already said, now the workers of West Bengal, the trade union movement there, are so mature that they show their concern to make the public sector, the nationalised sector, viable. Government should respond to the responsible steps taken by the workers in West Bengal. I appeal to the hon. Minister to convey to the other Ministry what I have mentioned about Burn Standard and the other concern, M.A.M.C. which is one of the heavy engineering public sector concerns of our country.

I do not want to take much time. I welcome the Bill. But at the same time I want to repeat, before I conclude, that proper planning should be done. As I have mentioned earlier, still the private sector is ruling the aluminium market ; the public sector is lagging behind. We are importing spending valuable foreign exchange for aluminium and aluminium products. So, I would request the hon. Minister to give proper importance to my suggestions, and when he replies, I hope he will reply to all the questions which I have raised properly...

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : And satisfactorily.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Reply as you want.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : Mr Satyasadhan Chakraborty says 'satisfactory reply'. I will say 'to my satisfaction'. I thank the Government for nationalising this concern and with these words, I conclude.

**श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा):** उपाध्यक्ष महोदय, एलुमिनियम कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटिड (एक्वीजीशन एंड ट्रांसफर आफ एलुमिनियम अंडरटेकिंग) बिल 1983 का मैं समर्थन करता हूं।

प्राईवेट सैक्टर में जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनियां सरकारी पैसे से बनी हैं, धीरे-धीरे वे अपने एसेट्स को दूसरी जगह ट्रांसफर कर के सिक होती जा रही है। यह भी एक ऐसी ही

कंपनी है, जिसने सरकारी फिनांशल इंस्टीट्यूशन्ज से करोड़ों रुपए ले कर उसको सिक बनाया है। 1973 में यह कंपनी क्लोज हुई। भारत सरकार और वैस्ट बंगाल सरकार ने इसको रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन उसकी फिनांशल पोजीशन इतनी खराब थी कि वहअपने पांव पर खड़ी न हो सकी।

1978 में भारत सरकार ने डिसिजन लिया कि इसको टेक ओवर कर लिया जाए और भारत एलुमिनियम कंपनी के सुपुर्द कर दिया जाए। तब भी वह ठीक प्रकार से नहीं चल पाई, क्यों कि इसकी मशीनरी इतनी पुरानी हो चुकी है कि प्राडक्शन लाभदायक नहीं हो सकती। इसकी मशीनरी को माडर्नाइज करने के लिए और प्राडक्शन को लाभ की स्थिति में लाने के लिए यह जरूरी है कि सरकार इसमें काफी इनवेस्टमेंट करे।

अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1 करोड़ रुपया इस अंडरटेकिंग को सुचारु रूप से चलाने के लिए भारत एलुमिनियम कंपनी को दिया जाए, 60 लाख रुपया माडर्नाइजेशन के लिए दिया जाए और 3.70 करोड़ रुपया ड्यूज की अदायगी के लिए दिया जाए। टेक ओवर करने के बाद करीब 4 करोड़ रुपया राइट्स, टाइटल और इन्ट्रेस्ट को प्राप्त करने के लिए देना पड़ेगा। इसके अलावा 10.75 करोड़ रुपया एसेट्स को लेने के लिए देना पड़ेगा। भारत सरकार इस कंपनी के एसेट्स और मशीनरी वगैरह को प्राप्त करने के लिए 20 करोड़ रुपया दे रही है, जबकि इस कंपनी द्वारा करोड़ों रुपए कमाए गए हैं।

**13.00 hrs.**

अगर ट्रांसफर आफ असेट्स या मैनेजमेन्ट की वजह से कोई कम्पनी सिक होती है तो उसके लिए सरकार को पैसा नहीं देना चाहिए, हां, अगर मजदूरों का पैसा चुकाना हो, तो दूसरी बात है। वरना जब किसी कम्पनी ने काफी पैसा कमा लिया हो तो उसको इस प्रकार का एमाउन्ट देने की आवश्यकता नहीं है। उस कम्पनी को आप नेशनलाइज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने का यत्न करें।

आज पब्लिक सेक्टर में जो कम्पनियां चल रही हैं उनका प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियों के साथ कंपिटीशन होना चाहिए। आज प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में बड़ी मिकदार में प्राफिट होता है जबकि पब्लिक सेक्टर की जो एलूमिनियम की या अन्य कम्पनियां हैं उनमें प्राफिट बहुत कम है। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की बड़ी-बड़ी कम्पनियां तो लास में भी चलती हैं। मैं समझता हूं पब्लिक सेक्टर में जब तक आप कम्पनियों का मैनेजमेन्ट ठीक नहीं करेंगे तब तक उनमें करोडों रुपए का इन्वेस्टमेंन्ट करने के बाद भी लाभ नहीं मिल सकेगा। उन कम्पनियों का प्रशासन, मैनेजमेन्ट कुशल तरीके से चलाया जाना चाहिए जिसके अभाव में आज वहां पर घाटा हो रहा है। बड़े-बड़े अधिकारियों को वहां पर बिठा दिया जाता है जोकि एक्सपर्ट नहीं होते हैं, वे वहां पर राजशाही की तरह से रहते हैं और अनाप-शनाप खर्च करते है और इस प्रकार से कम्पनी का दिवाला निकालने का प्रयत्न करते हैं। इन कम्पनियों में जिन लोगों को भी रखा जाए, जिनको भी वहां पर मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन बनाया जाए उनको यह मालूम होना चाहिए कि उनका यह परम कर्तव्य है कि वे कम्पनी का संचालन इस प्रकार से करें जिससे कि उसमें ज्यादा से ज्यादा प्राफिट हो सके।

आज बड़ी-बड़ी key (की) इण्डस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में ही हैं और इन की-इण्डस्ट्रीज के आधार पर ही देश की अन्य कम्पनियां चल सकती हैं। इसलिए इन की-इण्डस्ट्रीज का मैनेजमेन्ट ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनमें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके। यह जो एलूमिनियम कम्पनी है इसका भी पावर तथा अन्य सेक्टर के लिए बड़ा महत्व है इसलिए इनका मैनेजमेन्ट ठीक प्रकार से चलाया जाना नितान्त

आवश्यक है। और भी एलूमिनियम कम्पनीज देश में खड़ी की जा सकती हैं। फिर आपको बाहर से इसका इम्पोर्ट करने की आवश्यकता नहीं रह जायेगी और एलूमिनियम की सारी चीजें देश में बन सकेंगी।

सरकार ने जो कदम उठाया है वह मैं समझता हूं हाफ-हार्टेड है। हाफ-हार्टेड कदम उठाने से मैं समझता हूं आपको कामयाबी नहीं मिलेगी आप जबतक व्यवस्था नहीं करेंगे तबतक कुछ नहीं होगा। इस लिये या तो पूरी तरह से नेशनलाइज कीजिये या ऐसे अवसर दीजिये जिस से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और वे लोग देश की ज्यादा सेवा कर सकें।

सरकार को इन कम्पनियों के सिक होने के बारे में पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बराबर एक कम्पनी को सिक कर के दूसरी बनाने में लगे रहते हैं। उन का इन्टरेस्ट यह होता है कि उस में से सब माल निकाल लें और जब उस में रद्दी चीजें रह जाती हैं तब उस को छोड़ देते हैं। इस में उन का अपना तो कोई नुकसान होता नहीं है क्योंकि सब पैसा फाइनैन्शियल इंस्टीचूशन्ज का लगा होता है, अपनी गांठ का वे कोई पैसा नहीं लगाते हैं। ये जितने बड़े सेठ लोग हैं, कोई भी अपनी गांठ का पैसा नहीं लगाते हैं, चाहे जितने करोड़ की इण्डस्ट्री स्थापित करें सारा पैसा फाइनैन्शियल इंस्टीचूशन्ज का, बैंक का लगता है और कहने के लिये जो 10-20 परसेन्ट अपना दिखलाते है, उस को भी वे फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज के पैसे में से निकालते हैं, और इस तरह से बड़ी बड़ी कम्पनियों के मालिक बन कर बैठ जाते हैं और इस तरह से जीवन गुजारते हैं जो किसी देश का राजा-महाराजा भी नहीं गुजारता होगा। परिवार के सब लोगों को कम्पनी में लगा देते हैं, किसी को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया, किसी को डायरैक्टर बना दिया और हर एक के लिये दस-दस और बीस-बीस हजार की तनख्वाह लगा देते हैं। ऐसी कम्पनियों में जहाँ सरकार का पैसा लगा होता है सरकार को उन की पूरी निगरानी करनी चाहिये।

सरकार की तरफ से इन कम्पनियों में डायरैक्टर नियुक्त किये जाते हैं। किसी डिप्टी सैक्रेटरी को, किसी ज्वाइन्ट सैक्रेटरी को या कन्सर्ण्ड मिनिस्ट्री के सैक्रेटरी या ज्वाइन्ट सैक्रेटरी को नामिनेट कर दिया जाता है। वे लोग वहां जाते हैं, चाय पीते हैं, मौज करते हैं और घूम-फिर कर आ जाते हैं। यह देखने का प्रयास नहीं करते कि कम्पनी की क्या हालत है, वह ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज से जो पैसा मिला है उस का ठीक से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं उस के एसेट्स ट्रांसफर कर के दूसरी जगह तो नहीं ले जाये जा रहे हैं। इन सब को देखने वाला कोई नहीं है। आज बहुत सी कम्पनियां जो सिक हो रही हैं, उस का मुख्य कारण यह है कि सरकार का इन्टरैस्ट सेफगार्ड करने के लिये वहां जिन अधिकारियों को मुकर्रिर किया जाता है वे ठीक प्रकार से सरकार के इन्टरेस्ट को सेफगार्ड नहीं करते, बल्कि अपना इन्टरैस्ट सेफगार्ड करते हैं। थोड़े दिनों बाद जब वह रिटायर होते हैं तो उन को उसी कम्पनी में जाब मिल जाती है, जहां कुछ दिन पहले वे गवर्नमेन्ट के नामिनेटेड डायरैक्टर थे। मैं ऐसी एक नहीं बहुत सी नजीरें दे सकता हूं जहां बड़े बड़े अधिकारी जो इन कम्पनियों के डायरैक्टर रहे हैं, इन कम्पनियों को आगे बढ़ाने में जिन्होंने सहयोग किया, वे रिटायरमेन्ट के बाद इन्हीं कम्पनियों में बड़े अधिकारी नियुक्त हो जाते हैं और उम्र भर पैसा प्राप्त करते रहते हैं।

इस लिये मेरा निवेदन है कि सरकार के इन्टरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए निश्चित तरीके से ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जब भी कोई कम्पनी सिक होने लगे तो उस पर पूरा ध्यान रखा जाय, उस को सिक न होने दिया जाय जिससे कोई मजदूर बेकार न हो। इस कम्पनी में 5-6 साल तक ढाई हजार मजदूर

बेकार रहे। किस तरह से उन लोगों ने अपनी गुजर-बसर की होगी, आप उस का अन्दाजा नहीं लगा सकते। इसलिए भारत सरकार को कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिस से उन कम्पनियों में जिन में भारत सरकार और फाइनेन्शियल इंस्टीचूशन्ज का पैसा लगा है, सिक न होने पायें। सिक होने से पहले भारत सरकार को पता लग जाय जिस से भारत सरकार कार्यवाही कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मोनोपोलिस्टिक विचारधारा वाले लोग इसका ज्यादा लाभ न उठा सकें। जब मिल टेकओवर कर ली जाती है, उसके बाद ये पूंजीपति लोग बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर उस मिल को वापिस अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। सरकार को चाहिए कि जब एक बार टेक-ओवर किया है तो उसको नेशनलाइज करे। आपने टेकओवर करते समय करोड़ों रुपया इन्वैस्ट किया है। यह जो अब कदम आपने उठाया है इसको बराबर आगे बढ़ाइए। इसको नेशन-लाइज कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और देश को फायदा हो।

एक बार पुनः आपने जो कदम उठाया है, उसका स्वागत करते हुए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

**श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** (कोडरमा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐलुमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ऐलुमिनियम उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1983 का समर्थन करता हूं।

आज का युग प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का युग है। गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के घरों में आपको एल्यूमिनियम के ही बर्तन मिलेंगे। इस आवश्यकता को देखते हुए इस का उत्पादन बहुत कम है। ऐल्युमिनियम का जितना विकास होना चाहिए था, उतना विकास नहीं हुआ है। आजादी के 38 वें वर्ष में हमने प्रवेश किया है, लेकिन अभी तक इसका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है। पिछले समय मंत्री महोदय बता रहे थे कि देश में पांच लाख टन एल्युमिनियम की आवश्यकता है, लेकिन यदि लेखा-जोखा देखा जाए तो तीन-सवातीन ही एल्युमिनियम के उत्पादन की क्षमता है और उसमें भी 50 परसेंट से ज्यादा उत्पादन नहीं होता है। एल्युमिनियम की महत्ता को देखते हुए, इसके विकास के लिए सरकार को सतत् प्रयास करने की आवश्यकता है। अधिग्रहण करने के लिए यह बिल लाया गया है, इसी लिए हम लोग इसका हार्दिक समर्थन कर रहे हैं। यह कारपोरेशन एक प्राइवेट कंपनी ने आसनसोल के नजदीक जेके नगर में बनाया था। इसकी व्यवस्था बहुत अच्छी सराहनीय कार्य उन्होंने किया। विषम परिस्थितियों के कारण और यह भी हो सकता है कि जो पूंजी वित्तीय संस्थानों की लगाई गई, उसका दुरुपयोग करने की परम्परा शुरू हो गई। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने उद्योग लगाती हैं, वित्तीय संस्थानों से पैसा लेती है, आगे चल कर वे पारिवारिक व्यव-हार के लिए उसका उपयोग करने लगती है। इस कारण पूंजी व्यवस्था में न लगाकर उसका डाइवर्जन होता है, जिसके कारण व्यवस्था ठीक नहीं चल पाती है।

**13.15 hrs.**

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

दूसरी बात यह है कि तत्कालीन श्रमिक संगठनों को भी इस में दोष दिया जा सकता है। जो भी उस समय श्रमिक संगठन थे, उन्होंने उस समय के मालिक के जो संबंधी थे, उन की हत्याएं की और अन्य लोगों की भी हत्याएं हुई, जिस के कारण प्रबन्धकों को यह छोड़ देना पड़ा। इस कारखाने को छोड़ने में यह भी एक बात रही है कि मजदूरों ने चाहे जिस तरह का उग्र रूप धारण किया हो लेकिन मजदूरों के भुगतान में भी गड़बड़ी हुई हो या अन्य कारण रहे हों। और मजदूरों की तरफ से भी ज्यादती हुई थी, जिससे प्रबन्धकों को हतोत्साहित होकर और इस तरह से हत्याओं का तांता देख कर, इसे छोड़कर

भागना पड़ा। इस के लिए जो भी दोषी हों लेकिन उस के बाद इस कारखाने को चलाने के लिए बंगाल सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने प्रयास किया। 1975 में जब वे इस में सफल नहीं हो सके, तो फिर 1 मई 1978 को इस को टेकओवर किया गया और तब से इसका कार्यकरण जो चलाया जा रहा है, वह बहुत ही संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। अभी जो बिल आया है, इस से आशा की जाती है कि इस कारखाने का भविष्य उज्जवल होगा लेकिन भविष्य को उज्जवल करने के लिए जो प्रबन्ध की व्यवस्था होनी चाहिए, उस के संबंध में इस विधेयक में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। इसमें बाईलाज और डेलीगेटेड पावर का प्रावधान है और फिर अधिकारी वर्ग अपने ढंग से रूल्स एंड रेगूलेशन्स, नियम और कानून जो भी होंगे, वे बनाएंगे और उस के बाद यह कितना अच्छा चल सकेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, वहां पर बीमार मिलों, बीमार उपक्रमों की संख्या बहुत ज्यादा है। हाजीनगर में कागज का कारखाना, सेन रेले का कारखाना और इसी तरह से नेशनल जूट मिल भी बीमार रहे हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि बंगाल में ऐसे बहुत से कारखाने हैं जो बीमार पड़े हुए हैं। इस के लिए कारणों को ढूंढना होगा कि किस कारण से वहाँ पर बड़े बड़े कारखाने भी बन्द हो जाते हैं और इस दिशा में सरकार को सचेष्ट रहना चाहिए और हमारी जो लेबर मिनिस्ट्री है. उस को देखना चाहिए कि श्रमिकों के साथ किसी तरह का अन्याय न हो और श्रमिकों को भी अपनी रोटी पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कारखाना बन्द होने की नौबत आए। यदि मजदूरों का शोषण होता है, मजदूरों को न्याय नहीं मिलता है, लाभांश का विवरण ठीक से नहीं होता है या बोनस देने में प्रबन्धकों द्वारा कोई सौतेला व्यवहार होता है, तो उस चीज को सरकार को देखना चाहिए। इस कारखाने की उपयोगिता बहुत है और अब तो सौर ऊर्जा की बात चल रही है और सौर ऊर्जा पैदा करने में एलुमिनियम का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। एलुमिनियम हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है और उस के लिए करोड़ों रुपयों की व्यवस्था विदेशी मुद्रा के रूप में करनी पड़ती है और अच्छी क्वालिटी का एलुमिनियम मंगाने में काफी विदेशी मुद्रा हमें देनी पड़ती है। इस के लिए मेरा कहना यह है कि जहां पर अच्छी क्वालिटी का एलुमिनियम बनता है, वहां से टेकनोलाजी को मंगाया जाए, उसको खरीदा जाए या कोलाबोरेशन किया जाए। सर्वोत्तम क्वालिटी के एलुमिनियम से वहिर्वेधित सेक्शनों, फायलों और कंडक्टरों और दूसरी तरह के सामान बनते हैं। हमारे यहां ऐसी गुणवत्ता वाला एलुमिनियम होना चाहिए, जिससे विदेशों से हमें एलुमिनियम न मंगाना पड़े। आज बहुत सी कम्पनियां एलुमिनियम बाहर से मंगाती हैं और उस में हमारे देश की विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। इसको हमको रोकना चाहिए। हमारे यहां नेलको और बहुत से दूसरे कारखाने हैं जहां पर यह अच्छी क्वालिटी का एलुमिनियम बनाया जा सकता है। हमारे देश में बाक्साइट के बहुत बड़े भंडार हैं। लोहरडागा के सैंकड़ों वर्ग मील में एल्युमिनियम बोक्साइट खनिज उपलब्ध है। वहां उसको निकालने के लिए कारखाना बनाना चाहिए। वहां कारखाना नहीं बनाया जाता है। अगर वहां कारखाने बनाये जाए तो वहां के जो आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासी भूखों मर रहे हैं और जिन्हें अपनी रोजी-रोटी के लिए पंजाब और दूसरे-दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, उनके लिए वहीं रोजी-रोटी की सुविधा हो सकती है और वे लोग तबाही से बच सकते हैं। वहां पर कारखाने को बनाने से वहां के आदिवासियों को लाभ होगा। इस बात को आपको देखना चाहिए।

बालको और हिन्डालको सभी को मिलकर

विचार करना चाहिए कि देश को कितनी एल्युमिनियम की आवश्यकता है, पांच लाख टन या दस लाख टन ? उसी के अनुसार जहां संभावनाएं हैं, जहां जहां खनिज उपलब्ध हैं, उन्हीं इलाकों में कारखाने बनाने चाहिए। इस तरह से आसानी से एल्युमिनियम पैदा किया जा सकता है। मैंने इसी सदन में एक प्रश्न किया था कि लोहा-डागा इलाके में एक कारखाना बनना चाहिए क्योंकि वहां इसका खनिज पैदा होता है। यह कारखाना वहां नहीं बनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है। आपको इस सम्बन्ध में किसी भी क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना चाहिए।

दूसरी बात मैं प्रबन्धन और व्यवस्थापन के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। आपने इसके सुधार के लिए 4 करोड़ 24 लाख रुपये या इस बिल में प्रावधान किया है जिसमें से 66 लाख रुपये कारखाने के मोडरेनाइजेशन में खर्च होंगे। मोडरेनाइजेशन के लिए यह राशि कम है। वहां के इंजीनियर, साइंटिस्ट्स या एक्सपर्ट्स आपको जो राय दें उस पर आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि उन्हीं को यह कारखाना चलाना है। आपने जो इस राशि का प्रावधान किया है उसको सही ढग से खर्च करना है। यह न हो कि ब्यूरोक्रेसी जो अनाप-शनाप खर्च बताये, उसमें ही राशि खर्च हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो यह राशि केवल कागजों और वाउचरों में ही खर्च होगी, वास्तव में खर्च नहीं होगी। इसलिए मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वे इस कारखाने के मैनेजमेंट में बराबर सावधानी बरतें। नहीं तो क्या होता है कि वहां पर जो अधिकारी बहाल होते हैं वे पक्षपात और भाई-भतीजावाद चलाने लगते हैं। वहां पर उन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति की जाए जिनकी कि आवश्यकता हो। जिनकी आवश्यकता न हो उनको बहाल कर देने से बहुत बर्बादी होती है और कारखाना सही ढंग से नहीं चल पाता है।

जितने भी बंगाल में कारखाने बंद हुए हैं—वे या तो श्रमिकों की साजिस से हुए हैं, या पूंजीपतियों की साजिश से बंद हुए हैं। इसीलिए सरकार को उनको अपने हाथ में लेना पड़ा। मैं चाहता हूं कि उनके प्रबंधन में और व्यवस्थापन में मजदूरों को भी हिस्सेदार और साझीदार बनाने की आवश्यकता है। जितने भी हमारे कारखाने हैं, अगर उनमें मजदूर भी हिस्सेदार और भागीदार होंगे तो वे अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और उन्हें कारखाने में अपनत्व का बोध होगा। इसलिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये।

आपको इस कारखाने के प्रबंध के लिए अच्छे अधिकारियों को पदस्थापित करना चाहिए ऐसे अधिकारियों की वहां नियुक्ति नहीं होनी चाहिए जो कि पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं आप इन बातों का ध्यान रखें, तभी इस कारखाने का, एल्युमिनियम का भविष्य अच्छा होगा और तभी जनता की आवश्यकता की भी पूर्ति हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

SHRI T.R. SHAMANNA (Bangalore South) : Mr. Chairman, Sir, please permit me to say a few words in respect of Acquisition of Aluminium Corporation of India Limited. Sir, time and again, concerns are taken over. It is regretted that no policy is evolved to acquire undertakings. A few days back, when there was a demand for the acquisition of the Buckingham & Carnatic Mills Limited, Madras, Government refused to take it over. Whenever Government want to take over, they take over whether it is worthwhile or not. In this particular case, more than Rs. 10,000 crores of public funds are going to be involved and therefore, it is very necessary that a clear cut policy is to be evolved, to find out whether a concern is to be taken over or not. If it is necessary to salvage a concern, we have to satisfy ourselves that it will be able to recover, and will be able to stand on its own legs. It is necessary that proper planning is made, and that all steps are taken to see that the concerns do not suffer again.

Furthermore, this concern is going to be managed by Bharat Aluminium Co. I do not want that by taking over this concern, the Bharat Aluminium Co. also gets into trouble. It is, therefore, necessary that the new venture does not commit the same mistake which was committed by the old concern. So, it is necessary to find out as to why this concern went bad; and all steps should be taken to see that there is no repetition of the mistakes already committed, so that we find that the concern works smoothly.

All companies are required to send to the Registrar of Joint Stock Companies every year, a profit and loss account, and the balance sheet. They are simply, nominally filed. I suggest that Government set up a machinery to find out which are the companies going bad. Suppose the concerns become bad hopelessly; and steps are taken thereafter, it will be difficult to set them right. I suggest that a machinery should be found which will study the profit and loss account and the balance sheet of companies; and see that in the case of concerns doing bad, steps are taken early enough to set them right i.e. in the beginning itself, so there will not be any huge cumulative losses.

Hereafter many concerns are likely to go bad, because most of the machineries are obsolete. There is a possibility of many concerns going into liquidation, and incurring heavy losses. So, early steps will have to be taken in this regard.

After taking over this concern, Government should get periodic reports and find out whether the company taken over is working well. There is a good future for aluminium these days, because formerly aluminium coils were being used only for making utensils. But now they are used for several purposes, including fittings and in automobile industry, aviation and many other sectors. So, there is a great necessity for the development of aluminium industry in the country.

Apart from financial resources and raw materials required for this concern, another very important factor in respect of the aluminium industry is power. Aluminium requires a lot of power; and, therefore, steps must be taken to see that power is also provided, so that the concern does not stop for want of power.

It is provided in the Bill that all employees of the company will be taken over by the new concern. Instead of taking them over wholesale, why not screen them, and eliminate those who are responsible for bringing discredit to the company? Those responsible, if possible, may be weeded out, instead of taking them over.

Before any concern is taken over, why should not the labour be given an opportunity to see whether they are going to manage the company themselves. If they are going to do it, in many cases the concerns may work out well. So, Government should also give an opportunity to the labourers, and see whether they are going to run the show. Some financial assistance must be given by the Government to them in that case. If that were to be given, Government will be saved from a lot of head-ache. I once again add that a policy is to be laid down whether a concern is to be taken over or not because the government is sinking a large sums of public money. Therefore, unless and until a strict policy is laid down, it is not worthwhile taking over sick concerns. I do not object to a concern being taken over, but having taken over a concern, the concern must survive and make progress. It should not be a national wastage. On the other hand, it must help the national development of the country. Therefore, I would strongly urge upon the government to evolve a policy whereby a principle is to be laid down clearly whether a concern is to be taken over or not.

With these words, I thank you for having given me an opportunity to say a few words.

**श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) :** सभापति महोदय, ऐलुमिनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (ऐलुमिनियम उपक्रम का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1983, पेश किया गया है, बहुत अच्छी बात है। On page 15 of the Bill, it reads as follows :

> "The working of the undertaking after the take over of its management confirmed the possibility of re-starting the facilities and of making the operation

viable provided adequate funds for modernisation were injected and the management structure was re-organised. The fabrication facilities at Asansol were re-commissioned in 1979. The performance of these facilities has not been very satisfactory and can be improved only by modernisation. For the improvement in the performance of the undertaking, further investment of public funds is considered necessary".

मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं। यह जो सिक यूनिट लिए गए हैं, इसके साथ 2500 लोगों की जीविका का प्रश्न भी जुड़ा हुआ था। यह एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। यह किसी सिक यूनिट को लेने का कारण भी हो सकता है। जब आप सिक यूनिट्स लेते हैं तो मर्ज इतना बढ़ चुका होता है कि बेचारा आखिरी सांस ले रहा होता है। 3178.85 करोड़ रुपया जनता का सिक यूनिट्स में पड़ा हुआ है। हालत दिन-पर-दिन खस्ता होती जा रही है। जब सिक यूनिट लिए जाए तो यह देखना चाहिए कि आपरेशन में वायेबल है या नहीं ? प्रोडक्शन जो होगा, वह कम्युनिटी और देश के लिए आवश्यक है या नहीं ? नहीं तो क्या होना है कि प्राइवेट सेक्टर के लोग पब्लिक इंस्टीट्यूशन्स से पैसा ले लेते हैं और मैनेजमेंट या कुछ और खामियों की वजह से इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं। पहले लाक-आऊट होता है, उसके बाद सरकार को बाध्य होकर अपने हाथ में ले लेना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इसकी रेमेडी होनी चाहिए। वरना यह सिलसिला रोज चलता रहेगा। इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं पायेगी। प्राईवेट सेक्टर में तो कुछ अन-ट्रेन्ड लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। जब तक उनका इंटरेस्ट रहता है तब तक तो इन्डस्ट्री ठीक रहती है। मैं चाहता हूं कि इससे चैक करना चाहिए।

Viable units manufacturing products which can be treated as essential for the community should be protected.

यह दिमाग में साफ हो जाना चाहिए। ऐलुमिनियम के बारे में यह कहना चाहूंगा कि जो सिकनेस की बीमारी इन्डस्ट्री में फैलती है, उस पर कन्ट्रोल होना चाहिए। वैस्ट बंगाल की हालत तो बहुत ही खराब है। इस ओर आपकी भी थोड़ी सी तवज्जह नहीं है। वहां अकसर विरोध पक्ष की सरकार ही रहती है। इसलिए, इन्डस्ट्रीयल रिलेशन्स हमेशा तनावपूर्ण बने रहते हैं। इस संबंध में कहीं-न-कहीं कुछ-न-कुछ होना चाहिए। क्योंकि यदि आप किसी इंडस्ट्री के सिक होने के कारणों का पता लगायें, किस कारण से वह सिक हुई तो मान्यवर उसके पीछे एक ही कारण नजर आयेगा कि उसमें वही पुराने ढंग की रीति अपनाई गई, उस यूनिट का मोडर्नाजेशन नहीं हुआ और उसमें वही आउटडेटिड टैक्नालोजी का प्रयोग किया गया। वहीं सरकार का भी यह प्रयास होना चाहिए कि नई नई टैक्नालौजी से उस यूनिट को अवगत कराती रहे। क्यों कि उन इंडस्ट्रीज का सैट अप ही सारा गड़बड़ है, उनमें कुछ ऐसी खामियां हैं, जिनकी वजह से वे सिक होना शुरू हो जाती हैं और उनमें गड़बड़ होने लगती है। उसमें वही घिसी-पिटी महीनें चल रही हैं, पुराने जमाने की टैक्नालौजी अपनाई जा रही है तथा मालिक और मजदूरों के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। यदि इन सारी चीजों का पहले से ख्याल किया जाए तो आगे चलकर ऐसी स्थिति पैदा न हो।

मान्यवर, जहां तक एल्यूमिनियम का प्रश्न है, मैं थोड़ी सी बात उस अन्डरटेकिंग के बारे में भी कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ एल्यूमिनियम पर चार प्रतिशत ज्यादा व्यय कन्ज्यूमर को वहन करना पड़ता है जब कि दूसरी ओर अमेरिका और जापान में जहां लकड़ी की जरूरत होती है तो एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह हमें यहां भी उसके प्रयोग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। क्योंकि एक तो लकड़ी की कीमत अधिक है, दूसरे सरकार भी चाहती है कि देश में पर्यावरण बना रहे।

इसलिए लकड़ी की जगह एल्यूमिनियम के प्रयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। हमारे पास एल्यूमिनियम के वितरण के सम्बन्ध में शिकायतें आती रहती हैं कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों सैक्टरों में एल्यूमिनियम कन्ट्रोलर द्वारा रिकग्नाइज्ड लोगों द्वारा अनियमितताएं अपनाई जाती हैं, उसकी सप्लाई में बड़ी गड़बड़ हमेशा बनी रहती है। किसी यूनिट को तो आप निर्धारित कोटे से बहुत अधिक दे देते हैं और किसी को कम देते हैं। आपके एलाटमैंट कोटे में बहुत खामियाँ हैं। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरफ तवज्जह देने की आवश्यकता है। आपके यहां से जो मैटल की सप्लाई अन्डरटेकिंग को की जाएगी, उसमें कहीं कोई गड़बड़ न हो सके, वह सही तरीके से हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही हो, इसकी भी अवश्य व्यवस्था करें। फिर हमारे कन्डक्टर यूनिटस में अधिकांश स्माल स्केल यूनिटस हैं और उनमें हमेशा यह शिकायत बनी रहती है। छोटे यूनिट्स को तो नियमित रूप से एल्यूमिनियम मिलना ही चाहिए ताकि वे उससे बरतन वगैरह बनाते रहें। उसका कारण यह है कि हमारे देश का गरीब आदमी आज भी एल्यूमिनियम के बर्तन ज्यादा पसन्द करता है क्योंकि उसकी कौस्ट स्टैनलैस स्टील के बर्तनों की अपेक्षा बहुत कम होती है। मैंने पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भी देखा है कि गरीब आदमी ऐसे बर्तन लेना पसन्द करते हैं। अत: बर्तन बनाने वाली यूनिट्स को भी एल्यूमिनियम की नियमित सप्लाई होना आवश्यक है जिससे आम लोगों को, उपभोक्ताओं को तथा खरीदार को सस्ते दामों पर बर्तन मिलते रहें। इतना ही कहते हुए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस कंपनी के संबंध में कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि माननीय सदस्य हाल्दर जी ने बहुत कह दिया है। परन्तु इसके साथ जो अन्य कंपनियां हैं, उनको भी आपको लेना चाहिए और उनके बारे में ही बोलना चाहता हूं। जैसे मालको, बिड़ला जी की हिंडालको, बालको और मूरी स्थित इंडल है जो कि बिहार के रांची जिले में स्थित है। वैसे तो आप लोग बिड़ला जी के खान्दान के एक आदमी को मैंबर बनाकर उस हाउस में ले आये हैं, आपके एम एल एज ने उनको चुना है। मैं इन चारों कंपनियों की बात ही कहना चाहता हूं। ये कम्पनियां मुनाफा स्वयं अपनी जेबों में रख रही है, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से जो करोड़ों रुपया कर्ज लेती हैं, आप उनको देते हैं, लेकिन ये आपको बकाया नहीं देतीं। मैं इसी संदर्भ में कुछ तथ्य, जैसा माननीय मन्त्री जी ने दूसरे सदन में बतलाये थे, उनकी ओर आप का ध्यान खींचना चाहता हूं।

एक स्टार्ड क्वेश्चन नं० 53, 17 नवम्बर, 1983 को श्री कल्याण राय और श्री लाडली मोहन निगम द्वारा राज्य-सभा में पूछा गया—

What is the amount of dues payable to the Aluminium Regulation Account by HINDALCO (Dirlas) as on 31st October, 1983 and the details there of ?

मैं इसकी सारी डिटेल में नहीं जाना चाहता, टोटल बता देता हूं। श्री साल्वे ने जवाब दिया कि 37.24 करोड़ इन्होंने नहीं दिया एल्यूमीनियम रैगुलेशन एकाउन्ट को और ये रेनुकोट में बसे हुए हैं। ये मजदूरों का शोषण करते हैं, गुण्डों से मजदूरों को लड़ाते हैं। यह इनका हाल है।

बालकों की बात सुनलीजिए। इस के बारे में अतारांकित प्रश्न 362 भी 17 नवम्बर का उपरोक्त सदस्यों द्वारा पूछा गया था—

What payment of dues to BALCO and MMTC amounting to Rs. 7.37 crores and Rs. 6.37 crores respectively which were not paid because of non-payment of dues by HINDALCO have since been paid ?

इसका जवाब क्या देते हैं ?

INDAL did not pay its due amounting to about Rs. 19.420 crores for the period of September, 1980 to July, 1981. It, however,

started paying the arrears from April, 1982 and so far it has paid upto Rs. 4 crores leaving a balance of Rs. 15.420 crores yet to be paid.

आप इनसे क्यों नहीं लेते ? प्रश्न यह है कि पैसा सार्वजनिक है और इस्तेमाल कर रहे हैं निजी इजारेदार, पूंजीपति । इस पर आपका हथौड़ा नहीं चलता है । अगर गरीब पर बाकी रहे तो तुरन्त कुड़की, जप्ती, जेल, फांसी सब कुछ कर देंगे ।

मालको का सुन लीजिये—

MALCO has not paid its dues amounting to about Rs. 1513 crores for the period 15th July, 1980 to 26th March, 1981.

इसमें तो यही लिखा है कि 1513 करोड़ । आप इन लोंगों से वसूल करने में क्यों कतराते है ?

आखिरी उदाहरण है यह अतारांकि प्रश्न 505 जो कि 1 मार्च, 1985 को उन्ही दोनों सदस्यों द्वारा पूछा गया है—

> "Whether it is a fact that Indian Aluminium Company Ltd. a large multinational company has not paid over Rs. 25 crores for 1980 to 1983 to the Aluminium Regulation Account as per Aluminium Control order ?"

इसमें और भी बातें हैं । इस सवाल का जवाब इस प्रकार है:—

Indian Aluminium Company Ltd. (INDAL) did not pay its dues amounting to about Rs. 19.42 crores to the Aluminium Regulation Account for the period September 1980 to July 1981. INDAL started paying the arrears in instalments from April 1980. During the period from April 1, 1982 to August 1983, it paid Rs. four crores leaving a balance of Rs. 15.42 crores yet to be paid.

एक मल्टी-नेशनल के साथ इस सरकार की कैसी गाढ़ी दोस्ती है, उसका उदाहरण इससे मिल जाता है ।

अब गांवों में मिट्टी वाली पुरानी हांड़ी नहीं चलती है । अब गांवों और शहरों में एलुमिनियम की देगची, चाय बनाने वाली केतली और दूसरे वर्तन चलने लगे हैं । ये इजारेदार और पूंजीपति एलुमिनियम के दाम बढ़ा कर जनता को लूट रहे हैं और अरबों रुपये कमा रहे हैं । इसके बावजूद वे सरकार के ड्यूज नहीं देते । अगर सरकार वैमन से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कोशिश करती है, तो वे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और मामला वहीं ठप्प हो जाता है । इन तथ्यों की रोशनी में मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बारे में कोई कार्रवाही अवश्य करनी चाहिए ।

बिड़ला के रेणुकूट में स्थित हिन्दालको के कारखाने को उत्तर प्रदेश की सरकार दो पैसे प्रति-यूनिट के हिसाब से बिजली देती है । इसकी तुलना में मेरे राज्य में आम जनता को 47 पैसे प्रति-यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है और दिल्ली में बिजली की रेट कम से कम 37 पैसे प्रति-यूनिट जरूर है— इससे ज्यादा भी हो सकता है । आम उपभोक्ताओं की तुलना में पूंजीपति को बिजली रियायती दर पर दी जाती है । इस स्थिती में सरकार को घाटा नहीं होगा, तो क्या होगा ? उनकी वित्तीय संस्थानों से कर्जा भी दिया जाता है, जिसको वे वापिस नहीं करते हैं । फिर भी सरकार उनके साथ दोस्ती रखती है और उनको संसद् में लाती है । यह सरकार नाम तो समाजवाद का लेती है, मगर काम समाजवाद का गला रेतने का करती है ।

यह आवश्यक है कि सरकार इन तमाम एलुमिनियम कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करे । इसको केवल पश्चिमी बंगाल तक सीमित नहीं रखना चाहिए । इस उद्योग में हजारों मजदूर काम कर रहे हैं, जिन्हें तंग कीया जाता है, ठीक से तनख्वाह नहीं दी जाती । सरकारी कारखाना न होने के कारण सम्बन्धित कानून वहां पर लागू नहीं हो सकते । वे कानून उन पर लागू किए जाने चाहिए । लड़ने वाली यूनियनों को सरकार और

बढ़ावा दे, ताकि वे मजदूरों के हित में संघर्ष कर के पूंजीपतियों के नाक में नथनी पहनासकें, उनको नाथ सकें। जिस तरह सींग मारने वाले बदमाश बैल के नाक को रस्सी से नाथा जाता है, उसी तरह इन पूंजीपतियों को नाथने के लिए सरकार को उचित कार्यवाही करनी होगी।

बर्तनों के अलावा अब बिजली के तार भी एलुमिनियम के बनने लगे हैं। अब तांबे के तार इस्तेमाल नहीं किए जाते, क्योंकि चोर उन्हें काट कर ले जाते हैं। एलुमिनियम के ट्यूब बनाते हैं। ये सब बड़ी उपयोगी चीजें हैं। सरकार उनको सस्ता करे, उनका उत्पादन करने वालों पर सख्ती करे, अपने बकाया पैसे को वसूल करे। वह इन सब कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर के जनता का उद्धार करे। इस उद्योग को फलने-फूलने का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि आम जनता और देश का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके।

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN: Mr. Chairman, I am thankful to the hon. Members who have participated in the discussion. I am very happy to note that all hon. Members without exception have extended their support to the Bill which is under consideration.

The Aluminium Corporation of India Limited at Jaykay Nagar is an industrial establishment engaged in the production of aluminium and aluminium fabricated products falling under the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act. In September 1973 the undertaking of the company located at Jaykay Nagar, near Asansol, was closed due to financial and other difficulties. At the time of closure, the undertaking was employing about 2,500 persons. After the closure, efforts were made by the Central Government and the Government of West Bengal to revive the undertaking with a view to rehabilitate the workmen adverserly affected by the closure and also for augmenting the supply of aluminium and aluminium fabricated products. However, the efforts did not succeed, as the entire capital of the company has been eroded by the outstanding liabilities and the management was unwilling to invest any funds. In the circumstances, the management of the undertaking of the company was taken over on 1st May 1978 by the Central Government.

While considering any intervention of this kind, the Government have to satisfy themselves whether there would be a possibility of the unit becoming viable in a reasonable period of time. This point has been emphasized by the hon. Members who have taken part in the discussion. Secondly, we have to consider whether such a step is in the public interest. Our assessment is that in the second financial year after nationalisation and modernisation, the undertaking will start showing an operating surplus.

It may also be pointed out that since the management was taken over from 1st May 1978, the undertaking has been showing a net loss for the first two years, then it did show a small gross surplus but thereafter it showed a gross deficit. In 1983-84 the net loss is Rs. 281 lakhs and the gross loss is Rs. 152 lakhs. However, about Rs. 70 lakhs has been charged as interest by BALCO for primary metal supplied on credit. The scheme of rehabilitation which the Government propose to implement includes provision of Rs. 1 crores as working capital. With that, the interest to be paid for the primary metal would cease to be there. Thus, the gross loss for 1983-84 would be of the order of Rs. 80 lakhs. Looking to this figure and the increased production consequent upon modernisation, Government consider that the unit will become viable. We feel that the first criterian regarding the achievement of viability within a reasonable period of time will be achieved.

Secondly, out of the 2,500 employees engaged in the undertaking at the time of closure in 1973, about 1,140 are re-employed today as a result of take over the management of the undertaking. The employment on such a scale in the State of West Bengal where industrial activities are fast declining is considered to be a matter of significant public interest. Also, the undertaking has fairly versatile semi-fabrication facilities. AJIU were earlier supplying finished products to a variety of consumers including

defence establishments and ordnance factories. The continuation of such semi-fabrication facilities for supply of such goods in the Eastern sector is considered to be a matter of public interest.

Sir, hon. Member, Shri Halder wanted, to know the quantity of aluminium which we have imported. In 1979-80...

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : I want the figure for 1982-83.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : During 1982-83 we have not imported anything. During 1983-84 we have imported 30,000 tonnes.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : Mr. Salve in reply to a Rajya Sabha question said that in 1982-83 we may require import of 20,000 to 30,000 tonnes of aluminium through import. After that you have not imported anything in 1982-83.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : According to the figures available with me, we have not imported any quantity during 1982-83. But the figures indicate that 1983-84, 30,000 tonnes have been imported. But in 1982-83 a decision had been taken to that effect.

About the plans of the Government for revival of this undertaking, I would like to mention that on the basis of experience of running the plant from July 1977 onwards, the technical personnel of BALCO has assessed the actual physical condition of the machinery. (*Interruptions*). My information is that Shri Salve has mentioned only about July 1983. I would clarify that later on.

I was talking about the plans for the revival of the undertaking. I had stated that on the basis of experience of running the plant from July 1979, the technical personnel of Balco have assessed the actual physical condition of the machinery. Broadly, the couclusion is that it is worth reviving the semi-fabrication capacity. i.e., extrusion mills, rolling mills, foil plant, properzired plant and conductor mills. However, these sections of the plant are not in the best of condition and some modernisation is necessary. In 1981 the technical personnel of BALCO had assessed the requirement of funds for this modernisation/modification as Rs. 60 lakhs.

The first assessment of BALCO's technical personnel is that it would not be advisable to revive the Aluminium Plant, the aluminium smelter and the captive power plant. The Aluminium Plant (18000 tonnes per annum), the smelter capacity (9,000 tonnes per annum) and the captive power plant (10.2 MW) are, by and large, of very small capacities, consisting of very old machinery, which renders their revival non-viable. However, the BALCO will examine the possibility of their revival after nationalisation. (*Interruptions*).

14.00 hrs.

श्रीमन् मैं समझता हूं माननीय सदस्य मेरी बातों को सुन कर सन्तुष्ट हुए होंगे, सन्तुष्ट तो वे पहले से ही हैं, उन्होंने खुद ही इस बिल का स्वागत किया है। कम्पनी के अधिग्रहण का स्वागत करते समय चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं उन्हें सुझाव ही कहा जा सकता हैं जैसे कम्पनी की कार्यशैली को, कार्यक्षमता की किस तरह से और ज्यादा सुधारा जाय। में खास तौर से बुजुर्ग माननीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री और श्री राजेश कुमार सिंह जी का उल्लेख करना चाहता हूं। उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं हैं जो अधिग्रह से सीधे सम्बन्धित नहीं हैं बल्कि दूसरी कम्पनियों से सम्बन्धित हैं, फिर भी उन्होंने जो कहा है उस को हम ने नोट कर लिया है...

**श्री रामावतार शास्त्री:** जबाव तो दे सकते हैं; जैसे वे पैसा नहीं देती हैं। पैसा वसूलने के बारे में आप बतला सकते हैं।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : You make it viable.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : I have given you the total plan which Government is going to undertake to make the unit feasible and to make it viable.

उन्होंने जो सुझाव दिए हैं—मंत्रालय आगे आने वाले दिनों में कम्पनी के सम्बन्ध में फैसले करते समय माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, उन को निश्चित ही ध्यान में रखेगा।

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER : He has stated that 1140 workers have been employed. But there were 2500 workers. After modernisation will the rest of 1300 workers be taken up or not ? Will the continuity of service be there ? When the management is formed, will the workers representatives be taken up in the management so that the workers participation in management is ensured. Naturally, in this way the nationalised concern works satisfactorily and at the earliest possible time this nationalised concern may be viable.

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : I have stated 1140 employees have been re-employed till date, as a result of take over of the management of the undertaking.

The agreement has been entered into with the labour union to offer terminal benefits covering gratuity, leave, salary for notice period and retrenchment compensation under the Workmen Compensation Act. Till date 1045 workmen have collected their terminal benefits.

We have taken almost all those, whereever it was possible that those could be made viable. I do not think there is any complaint about not taking them. Wherever we have not been able to take them, they have been compensated adequately and under the provisions of law. (*Interruptions*). About the workers participation, the Ministry of Labour (*Interruptions*).

The scheme is already in force and all these public undertakings have been asked by the Central Government to implement the scheme. This unit will also consider implementing the same scheme.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the right, title and interest of the Aluminium Corporation of India Limited in relation to its undertaking .at Jaykay Nagar, near Asansol (West Bengal) for the purpose of ensuring the continuity of production of aluminium and aluminium fabricated products which are essential to the needs of the community and thereby to give effect to the policy of the State towards securing the principles specified in clause (b) of article 39 of the Constitution, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN : We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is :

"That clauses 2 to 31 stand part of the Bill."

*The motion was adopted*

*Clause 2 to 31 were added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That Scheduled stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*The Schedule was added to the Bill.*

*Clause 1—Short-Title*

MR. CHAIRMAN : There is a Government amendment No. 4 to Clause 1.

**Amendment made :**

"Page 2, line 37 : —

*for* "1983" *substitute* "1984". (4)

(SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN)

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*Clause 1, as amended, was added to the Bill.*

*Enacting formula.*

**Amendment made :**

Page 2, line 32,—

*for* "Thirty-fourth" *substitute*

"Thirty-fifth" (3)

(SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN)

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*The Enacting Formula as amended, was added to the Bill.*

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Preamble stand part of the Bill."

*The motion was adopted.*

*The Preamble was added to the Bill.*

MR. CHIRMAN : The question is :

"That the Title stand part of the Bill".

*The motion was adopted.*

*The Title was added to the Bill.*

SHRI ARIF MOHAMMAD KHAN : I beg to move :

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill, as amended, be passed."

*The motion was adopted.*

---

14.07 Hrs.

## EXPORT (QUALITY CONTROL AND INSPECTION) AMENDMENT BILL

MR. CHAIRMAN : Now, we take up next item. Shri Nihar Ranjan Laskar :

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND IN THE DEPARTMENT OF SUPPLY (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : Sir, I beg to move.**

"That the Bill to amend the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, be taken into consideration."

Sir, while moving this amendment, I would like to state that this Bill seeks to provide for the development of export trade of India on sound and stable basis, through quality control and inspection and for matters connected therewith. The hon. Members who are present here would have observed from the statement of objects and reasons attached to the Bill that this legislation has been moved with a view to removing certain deficiencies, inadequacies and lacunae in the existing Act passed by Parliament in 1963, so that the Export Inspection Council and Export Inspection Agencies would be able to administer the compulsory quality control and pre-shipment inspection scheme more effectively

Since the enactment of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, exportation of as many as 875 items is subject to compulsory quality control and pre-shipment inspection. Besides pre-export inspection, a number of other measures have been taken to streamline the quality control and inspection system and create consciousness of quality amongst manufacturers and exporters, who are being encouraged to instal in-house quality control for the upgradation of the quality of their export products.

I am just giving a little back ground to this. While the measures already taken have had a salutory effect on the quality of products exported and the complaints received from overseas buyers on quality have declined, it is felt that there is a need to take further steps to enforce quality standards for building a higher level of credibility in world markets. In the present environment of fierce competition, a reputation for qualitative excellence is an important factor in the marketing of products. On a review of the existing clauses of the Export (Quality Control and Inspection) Act of 1963, certain deficiencies and lacunae have come to light. It is, therefore, proposed to amend some of the provisions of the Act for administering compulsory quality control and pre-shipment inspection scheme more effectively.

With a view to achieve the desired objectives of removing the deficiencies and lacunae in the existing Act, this Bill provides, *inter alia*, for the following changes in the Act:—

(a) It will enlarge the membership of the Export Inspection Council by allowing the Central Government to nominate 15 persons instead of the persent limit of 11 persons nominated by the Central Government.

(b) Under the existing provisions, a certificate of export-worthiness once issued to a commodity by the export inspection

---

**Moved with the recommendation of the President.